

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Misc. Petition No. 4263/2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री गोविन्द उपाध्याय।
लोक अभियोजक श्री वी.एस. गोदारा।
अयाची संख्या-5 के अधिवक्ता श्री अमितसिंह शेखावत।

:: आदेश ::

23.11.2017

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार याची की ओर से कार्यालय द्वारा निकाली गई त्रुटियों को दूर नहीं किया गया है, इस हेतु योग्य अधिवक्ता याची को एक सप्ताह का अंतिम अवसर दिया जाता है, एक सप्ताह में कार्यालय द्वारा निकाली गई त्रुटियों को दूर नहीं किये जाने की स्थिति में यह फौजदारी विविध याचिका बिना न्यायालय में सूचीबद्ध किये स्वतः निरस्त समझा जाए। त्रुटियाँ दूर किये जाने पर पत्रावली एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो। तब तक पूर्व में पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

योग्य लोक अभियोजक प्रकरण की केस डायरी तलब कर पेश करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-